

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, कटिहार

प्रेस विज्ञप्ति

अल्पकालीन आवश्यक सूचना

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत जप्त वाहनों के विरुद्ध अनुमण्डल दण्डाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में चल रहे अभिलिखित अधिहरण वादों से संबंधित वाहन मालिकों के लिए आवश्यक सूचना :-

क्रम सं०	न्यायालय का वाद संख्या/थाना कांड संख्या	जप्त वाहन का प्रकार/निबंधन संख्या	वाहन मालिक का नाम एवं पता
1	2	3	4
1	128/2017-18 पोठिया ओपी० थाना कांड संख्या-246/2017	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-38B-0329	प्रशांत कुमार, पिता-स्व० श्याम नन्दन मेहता, सा०-बनिया पट्टी, पो०-बिधनील, थाना-के० नगर, जिला-पूर्विया।
2	108/2017-18 फलका पोठिया ओपी० थाना कांड संख्या-288/2017	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-11J-0158	अमित कुमार झा, पिता-स्व० तुलाकान्त झा, सा०-टिघर्स कॉलोनी, के० हॉट, जिला-पूर्विया।
3	233/2018-19 फलका पोठिया ओपी० थाना कांड संख्या-290/2018	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-39U-9198	शिवशंकर यादव, पिता-सर्वेश्वर यादव, सा०-सधुवा, थाना-रंगरा चौक, जिला-भागलपुर।
4	227/2018-19 फलका पोठिया ओपी० थाना कांड संख्या-238/2018	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-10U-7143	फुलकुमारी, पति-कारेलाल मंडल, सा०-फुलकिया, थाना-इस्माईलपुर, जिला-भागलपुर।
5	56/2021 उत्पाद वाद संख्या-C1-37/21	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-39K-5916	राजकुमार यादव, पिता-भुनेश्वर यादव, सा०-गुराही यादव टोला, पो०-भूहरी, थाना-कसबा, जिला-पूर्विया।
6	29/2020-21 प्राणपुर थाना कांड संख्या-111/2020	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-UP-16CE-5875	नीरज कुमार मंडल, पिता-दिलीप मंडल, सा०-गीझोरे, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
7	41/2021 उत्पाद वाद संख्या-C1-29/21	ऑटो रिक्शा निबंधन संख्या-BR-10PB-5326	कन्हैया कुमार, पिता-चुनचुन शर्मा, सा०-वार्ड नं० 23, नयाटोला, पो०+थाना-नवगछिया, जिला-भागलपुर।
8	244/2018-19 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-418/2018	कार निबंधन संख्या-UP-16F-3142	राजेश कुमार साह, पिता-अक्षय कुमार साह, सा०-R10A-1009-sector-09, गॉव टाउन-नौएडा, थाना-जी०बी० नगर, (उत्तर प्रदेश)
9	106/2017-18 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-244/2017	टेम्पु निबंधन संख्या-BR-10PA-1988	मनोज यादव, पिता-नोखी यादव, सा०-बड़ी मकनपुर, मालपुर, गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
10	259/2018-19 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-354/2018	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-39H-5133	रामचरित्र मंडल, पिता-स्व० बालदेव मंडल, सा०-अभिया, पो०-अभिया बाजार, थाना-गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
11	258/2019-20 प्राणपुर रोशना थाना कांड संख्या-142/2018	कार निबंधन संख्या-BR-1F-0190	संजय कुमार, पिता-कृष्णदेव सिंह, सा०-A/74, पी०सी० कॉलोनी, कंकड़बाग, जिला-पटना।
12	34/2020-21 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-310/2020	पिक-अप निबंधन संख्या-BR-10G-9249	अमर कुमार झा, पिता-इन्दर कुमार झा, सा०-लहियानगरा थाना-बेगुसराय जिला-बेगुसराय।
13	221/2019-20 प्राणपुर रोशना थाना कांड संख्या-169/2018	स्कुटी निबंधन संख्या-PB-02AU-4146	अनिरुद्ध कुमार चौधरी, पिता-कमलेश्वर प्रसाद, सा०-192, फील्ड रेजिमेंट, ओल्ड कैन्ट थाना-अमृतसर पंजाब।


14	264/2018-19 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-103/2017	कार निबंधन संख्या-BR-09T-7481	मनोज राम, पिता-स्व० महेंद्र राम, सा०-मियों चौक, तरबन्ना, थाना-सहायक रतनपुर, जिला-बेगुसराय।
15	17/2020-21 प्राणपुर थाना कांड संख्या-78/2020	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-39M-6594	नजिम, पिता-जुहीन, सा०-जोकर, थाना-आजमनगर, जिला-कटिहार।
16	260/2018-19 फलका पोठिया थाना कांड संख्या-128/2018	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-11E-2610	बाबुलाल मरांडी, पिता-माधव मरांडी सा०-सथाली टोला, शेखपुर, थाना-भवानीपुर, जिला-पूर्णिया।
17	05/2020-21 फलका थाना कांड संख्या-139/2019	टेम्पु निबंधन संख्या-BR-11PB-4738	शुभकरण साह, पिता-पृथ्वीचंद साह, सा०-निपनिया वार्ड नं० 11, जिला-पूर्णिया।
18	43/20-21 उत्पाद वाद संख्या-C1-89/20	साईकिल	काशीराम, पिता-स्व० झलावाती राम, सा०-न्यू कॉलोनी (ओभर ब्रीज), थाना-सहायक, जिला-कटिहार।
19	03/2021 प्राणपुर (रोशना) थाना कांड संख्या-205/2020	मोटरसाईकिल निबंधन संख्या-BR-11R-6210	मारग मरांडी, पिता-प्रधान मरांडी, सा०-कलसारा, थाना-डंडखोरा, जिला-कटिहार।
20	39/2021 कोड़ा थाना कांड संख्या-276/2019	मोटरसाईकिल चेचिस सा०-MBLHA10EE8HM3134	NA

एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिहरण वादों से संबंधित वाहन मालिकों के आवासीय पता (Address) पर निबंधित डाक/प्रोसेस परिचारी के माध्यम से नोटिस भेजा गया, परन्तु वाहन मालिक के द्वारा अबतक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखा गया है, जिसके कारण वाद की अग्रेतर कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः उपरोक्त वादों में निर्धारित तिथि-29.07.2021 को 11:00 बजे उपरोक्त वाहन के वाहन मालिकों को निर्देश है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष साक्ष्य सहित रखे, अन्यथा अधियाचना में उल्लेखित तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर जप्त वाहन के अधिहरण हेतु नियमानुसार आदेश पारित कर दिया जायेगा, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

यदि सूची में उल्लेखित वाहनों पर किसी अन्य व्यक्ति का दावा बनता हो तो वैसे व्यक्ति भी निर्धारित तिथि को ससमय न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपना पक्ष रखें।

इसे आवश्यक समझे।


15/07/21
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
कटिहार।